811

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 1997 (फाल्गुन 1,1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 41 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड का 34 वां वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामवरन सिंह गुर्जर, सोबरन सिंह मावई, सदस्य, दुग्ध महासंघ के माध्यम से हितग्राहियों को मिलने वाले पशु आहार की अनुदान राशि का दुरुपयोग किये जाने की ओर डेयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपाल परमार, श्रीमती करुणा शुक्ला, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम मालीखेड़ी के कृषक पर पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा चलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 196-जबलपुर केन्द्रीय के सदस्य श्री ओंकार प्रसाद तिवारी को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 1997 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य टीकमगढ़ जिले के तहसील निवाड़ी की सहकारी संस्थाओं से फसल बीमा योजना की प्रीमियम राशि जमा कराये जाने,

(2) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम बापू टोला में पशु औषधालय खोले जाने,

(3) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) कैलवारा-हलकुरी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने ;
(ख) दर्रहा एवं पहराई नाले पर स्टापडेम एवं नहर का निर्माण कराये जाने ; तथा
(ग) अलोनी नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(4) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर) सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम छिल्ला से महरजिया तक सड़क बनाये जाने ; तथा
(ख) तहसील मुख्यालय त्योंथर में ए. डी. जे. कोर्ट की स्थापना कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 14 फरवरी, 1997 को वन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1716) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री बनवारी लाल अग्रवाल, गोपीकृष्ण नेमा, बाबूलाल गौर तथा श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 19 फरवरी, 1997

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा